

## जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण

### प्रलिस के लिये:

अनुच्छेद-16, डी. पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामला, 1955

### मेन्स के लिये:

जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का आलोचनात्मक परीक्षण

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों राज्य के "बच्चों" के लिये आरक्षित होंगी और इसके लिये कानूनी प्रावधान तैयार किये जाएंगे।

## प्रमुख बडि

### ■ जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के वरुद्ध तरकः.

- भारत के संवधान में अनुच्छेद-16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को संदर्भित करता है।
  - अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन कसि भी पद पर नयोजन या नयुक्ति से संबंधित वषियों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।
  - अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, राज्य के अधीन कसि भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लगी, उद्भव, जन्मस्थान, नवास या इसमें से कसि के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे वभिद कथि जाएगा।
- अधवास और नवास के आधार पर आरक्षण का अर्थ भेदभाव होगा क्योंकि मात्र न्यूनतम प्रस्थान भी एक मेधावी उम्मीदवार को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है।
- इस तरह की संकीर्णता क्षत्रीयता को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्र की एकता के लिये खतरा है।

### ■ जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में तरकः

- अनुच्छेद 16(3), नवास (न कि जन्म स्थान) के आधार पर सरकारी नयुक्तियों में प्रावधान करने की अनुमति देता है।
  - प्रायः कुछ राज्य स्थानीय लोगों के लिये सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के लिये कानून में मौजूद खामियों का उपयोग करते रहते हैं। इसके लिये वे भाषा या एक नश्चित अवधि के लिये राज्य में नवास/अध्ययन का प्रमाण जैसे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं।
  - महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषा में नपुण 15 वर्षों से राज्य में रहने वाले लोगों को पात्र माना जाता है।
  - जम्मू और कश्मीर में भी सरकारी नौकरियों केवल "अधवासियों" के लिये आरक्षित है।
  - पश्चिम बंगाल में कुछ पदों पर भरती के लिये बंगाली में पढ़ना और लिखना आना एक महत्वपूर्ण मापदंड है।
  - वर्ष 2019 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में लपिकों और कारखाने की नौकरियों में नजि नयुक्ताओं को कन्नड़ लोगों को "प्राथमिकता" देने के लिये एक अधिसूचना जारी की।
- इस संदर्भ में अक्सर यह तरक दिया जाता है कि राज्य के नवासियों को अधमान्य उपचार देने से राज्य के संसाधनों के सही आवंटन में मदद मलगी और लोगों को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने के लिये प्रोत्साहित कथि जा सकेगा।
- इससे पछिड़े राज्यों से महानगरों में लोगों के प्रवास को रोकने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है, जससे ऐसे शहरों पर बोझ कम हो जाता है।

## अधवास स्थिति और जन्म स्थान के बीच का अंतर

- डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामले (1955) में सर्वोच्च न्यायालय (SC) के नरिणयानुसार, अधवास या नवास स्थान एक प्रवाही अवधारणा है अर्थात् जन्म स्थान के विपरीत यह समय-समय पर बदल सकती है, परंतु जन्म स्थान नश्विचति होता है।
- अधवास का अर्थ है कसिी व्यक्तिका स्थायी नवास।
- जन्म स्थान उन आधारों में से एक है जसि पर अधवास का दरजा दिया जाता है।

## SC का नरिणयः

- वर्ष 2019 में इलाहाबाद उच्च नयायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी एक भरती अधसूचना पर रोक लगा दी थी, जसिमें उन महिलाओं के लयि वरीयता नरिधारति की गई थी जो राज्य की "मूल नवासिी" थी।
- कैलाश चंद शरमा बनाम राजस्थान राज्य मामले, 2002 में सर्वोच्च नयायालय ने नरिणय दिया कि 'नवास' चाहे राज्य, ज़लि या कसिी अन्य क्षेत्र में हो, अधमिानय आरक्षण या उपचार का आधार नहीं हो सकता।
- संवधान वशिष रूप से जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, सर्वोच्च नयायालय ने डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले (1955) में अधवास आरक्षण को, वशिष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में, संवैधानिक माना है।

## आगे की राह

- राज्य में जन्म लेने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण देने का कदम संवैधानिक समानता और बंधुत्व की भावना के वरिद्ध है। जैसाकि हमेशा देखा गया है इस तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरति नरिणय को नयायपालिका द्वारा पलट दिया जाता है, अतीत में भी कई बार ऐसा हुआ है। संभवतः इस बार भी ऐसा ही हो।
- इसके अलावा सरकार गारंटी के रूप में रोजगार प्रदान करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि एक प्राधिकरण है जो अपनी नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आय, स्थिति, सुवधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करता है। इस प्रकार के नरिणय लेते समय सरकार को संवधान की मूल भावना को ध्यान में रखना चाहयि।

## स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reservation-based-on-place-of-birth>

